BIADA

दिनांक 11.12.2020 को आहूत पी0.सी0.सी0. के बैठक की कार्यवाही।

बैठक में समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- उद्योग विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति, 2020 के कंडिका-6 में भू-खण्डों के मूल्य निर्धारण हेतु किये गये प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा भूमि के दर का निर्धारण करते हुए विभाग से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। उक्त निर्धारित औपबंधिक दर को बियाडा के वेबसाईट पर प्रकाशित करते हुए स्पष्ट कर दिया जाए कि उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन के अनुरूप दर परिवर्त्तित हो सकती है।
- दिनांक 11.09.2020 से 30.11.2020 तक भूमि आवंटन हेतु प्राप्त कुल 27 Online आवेदनों को विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति, 2020 के आलोक में प्राधिकार द्वारा तैयार किये गये ऑनलाईन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर औपबंधिक दर के आधार पर पूर्वकृत Online आवेदन Continue रखने अथवा withdraw करने का Option देने हेतु सूचित कर दिया जाय।
- विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति, 2020 में निहित प्रावधान के आलोक में भू-आवंटन हेतु आवेदको से प्राप्त आवेदन के आलोक में पूर्व के कार्यावली को पुनरीक्षित करते हुए नया कार्यावली तैयार किया जाय। तथा चर्चा के आलोक में अहर्त्तांकं की गणना भी सुधार कर ली जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0।	अध्यक्ष, बिहार इण्ड0 एसोसिएशन, पटना।	उद्योग निदेशक के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार।	कार्यकारी निदेशक, मुजफ्फरपुर/दरभंगा।	कार्यकारी निदेशक, पटना/भागलपुर।	प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना।

ज्ञापांक-3758/D   दिनांक-15.12.2020

प्रतिलिपि- पी0सी0सी0 के सभी सदस्यों/मुख्य लेखा पदाधिकारी, बियाडा/आई0 टी0 कार्यपालक, बियाडा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/20

कार्यकारी निदेशक।